छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक /2544/ एफ–02–06 / रा.यो. / 2020 / 14–2 नवा रायपुर, दिनांक 15/05/ 2020

प्रति,

1. **संचालक कृषि, छ.ग.।**
2. **समस्त संभागायुक्त, छ.ग.।**
3. **समस्त कलेक्टर, छ.ग.।**
4. **समस्त संभागीय संयुक्त संचालक कृषि, छ.ग.।**
5. **समस्त उप संचालक कृषि।**

विषयः– फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने कृषि आदान सहायता हेतु "राजीव गांधी किसान न्याय योजना" के कियान्वयन के लिए दिशा–निर्देश।

––00––

छ.ग. राज्य में लगभग 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। राज्य का अधिकांश क्षेत्र वर्षा आधारित होने से मौसमीय प्रतिकूलता एवं कृषि आदान लागत में वृद्धि के कारण कृषि आय में अनिश्चितता तथा ऋण ग्रस्तता बनी रहती है, फलस्वरुप कृषक फसल उत्पादन के लिए आवश्यक आदान जैसे उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक, यांत्रिकीकरण एवं नवीन कृषि तकनीकी में पर्याप्त निवेश नहीं कर पाते है। कृषि में पर्याप्त निवेश एवं कास्त लागत में राहत देने के लिए राज्य शासन द्वारा कृषि आदान सहायता हेतु **"राजीव गांधी किसान न्याय योजना"** लागू की जा रही है। योजनांतर्गत खरीफ मौसम के धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, रामतिल, कोदो, कुटकी, रागी तथा रबी में गन्ना फसल को सम्मिलित किया गया है। योजना के कियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश निम्नानुसार हैः–

1. योजना का उद्देश्यः–

1.1 फसल क्षेत्राच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि।

1.2 फसल के कास्त लागत की प्रतिपूर्ति कर कृषको के शुद्ध आय में वृद्धि करना।

1.3 कृषको को कृषि में अधिक निवेश हेतु प्रोत्साहन।

1.4 कृषि को लाभ के व्यवसाय के रुप में पुर्नस्थापित करते हुए जी.डी.पी. में कृषि क्षेत्र की सहभागिता में वृद्धि।

2. योजनांतर्गत सम्मिलित फसल एवं पात्रता :–

2.1 योजनांतर्गत खरीफ मौसम के धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, रामतिल, कोदो, कुटकी एवं रागी तथा रबी में गन्ना फसल को सम्मिलित किया गया है।

2.2 कृषकों द्वारा पंजीकृत / वास्तविक बोए गए रकबा के आधार पर निर्धारित राशि प्रति एकड़ की दर से अनुपातिक रुप से उनके बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से सहायता राशि अंतरित किया जाएगा।

2.3 अनुदानग्रहिता कृषक यदि गत वर्ष धान की फसल लगाया था एवं इस वर्ष धान के स्थान पर योजनांतर्गत शामिल अन्य फसल लगाता है, तो उस स्थिति में कृषकों को अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान किया जावेगा।

2.4 कृषकों द्वारा उपरोक्त फसलों के बोए गए रकबा के आधार पर लाभ प्राप्त करने हेतु घोषणा पत्र के साथ विभागीय पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

2.5 योजनांतर्गत निर्दिष्ट फसल लगाने वाले संस्थागत भू–स्वामी कृषक इस योजना हेतु पात्र नहीं होंगे।

2.6 फसल अवशेष को जलाने वाले कृषक योजनांतर्गत संबंधित मौसम में लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होंगें।

2.7 घोषणा पत्र में गलत जानकारी देने वाले कृषकों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही अथवा प्रदत्त अनुदान राशि की वसूली भू–राजस्व संहिता के प्रचलित प्रावधान अनुसार की जावेगी।

2.8 आदान सहायता राशि का निर्धारण मंत्री–मंडलीय समिति द्वारा प्रतिवर्ष प्रत्येक फसल हेतु किया जावेगा।

3. **क्रियान्वयन एजेंसी** :– राज्य एवं जिला स्तर पर योजना का क्रियान्वयन क्रमशः संचालक कृषि एवं जिलों के उप संचालक कृषि द्वारा जिला कलेक्टर की देख–रेख में किया जायेगा।

4. **खरीफ 2019 में योजना का क्रियान्वयनः–**

4.1 योजना का आंशिक क्रियान्वयन भूतलक्षी प्रभाव से खरीफ 2019 से किया जाएगा। खरीफ 2019 में धान तथा मक्का फसल लगाने वाले कृषकों को अधिकतम राशि रू. 10000/– प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि किश्तों में DBT के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

4.2 गन्ना फसल के लिए :–

(i) गन्ना फसल हेतु पेराई वर्ष 2019–20 में सहकारी शक्कर कारखाना द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में क्रय किए गए गन्ना की मात्रा के आधार पर सहायता आदान राशि दिया जाएगा।

(ii) गन्ना क्रय हेतु निर्धारित FRP राशि रु. 261.25 रु. प्रति क्विंटल तथा प्रोत्साहन एवं आदान सहायता राशि 93.75 रु. प्रति क्विंटल अर्थात् अधिकतम राशि 355 रु. प्रति क्विंटल की दर से गन्ना उत्पादक कृषकों को DBT के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

5. **खरीफ 2020 से योजना का क्रियान्वयनः–**

5.1 योजनांतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु कृषकों को निर्धारित समयावधि में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। अपंजीकृत कृषकों को योजनांतर्गत अनुदान की पात्रता नहीं होगी।

5.2 खरीफ 2020 में कृषकों को 01 जून से 30 सितम्बर के मध्य योजना क्रियान्वयन हेतु विकसित नवीन पोर्टल में पंजीयन करना अनिवार्य होगा।

5.3 योजनांतर्गत निर्दिष्ट फसल लगाने वाले सभी श्रेणी के कृषकों को प्रपत्र–I में जानकारी, आवश्यक अभिलेख एवं घोषणा पत्र के साथ निर्धारित समय–सीमा में पंजीयन कराना होगा। आवेदन में उल्लेखित भूमि एवं फसल रकबे का कृषि/राजस्व विभाग के मैदानी अमलों से सत्यापन कराने के उपरांत सहकारी समिति में पंजीयन कराना होगा।

5.4 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं पटवारी द्वारा पंजीकृत रकबे का गिरदावरी कर सत्यापन किया जाएगा। पंजीकृत रकबा में विसंगति होने पर कृषक द्वारा बोए गए वास्तविक रकबा आंकलन कर आदान सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा।

5.5 योजनांतर्गत पात्रता निर्धारण करते समय कृषि भूमि सीलिंग कानून के प्रावधानों का ध्यान रखा जाए।

5.6 हितग्राही कृषकों से आधार नंबर उनकी सहमति से प्राप्त किया जाएगा। यदि किसी कृषक के पास आधार नंबर नहीं है, तो मैदानी अमलों के द्वारा ऐसे कृषको का आधार पंजीयन कराने की कार्यवाही करते हुए पंजीयन कराया जाएगा तथा प्राप्त आधार नंबरों की गोपनीयता सुनिश्चित की जावेगी।

5.7 पंजीकृत कृषक की मृत्यु हो जाने पर तहसीलदार के द्वारा परिवार के नामांकित व्यक्ति के नाम से अनुदान राशि प्रदान की जावेगी।

5.8 कृषकों के पंजीयन की वैधता उसी वित्तीय वर्ष हेतु होगी।

5.9 गन्ना फसल उत्पादक कृषकों को अधिसूचित क्षेत्र में सहकारी शक्कर कारखाना एवं विभागीय पोर्टल में प्रति वर्ष 30 सितम्बर तक पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

6. आदान सहायता राशि का भुगतान :–

6.1 योजनांतर्गत शामिल फसलों के लिए निर्धारित राशि प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि किश्तों में कृषको के खाते में DBT के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

6.2 अनुदानग्रहिता कृषक यदि गत वर्ष धान की फसल लगाया था एवं इस वर्ष धान के स्थान पर योजनांतर्गत शामिल अन्य फसल लगाता है, तो उस स्थिति में कृषकों को प्रति एकड़ अतिरिक्त आदान सहायता प्रदान किया जावेगा। आदान सहायता राशि का निर्धारण मंत्री–मंडलीय समिति द्वारा प्रतिवर्ष किया जावेगा।

6.3 कृषकों के बैंक विवरण में त्रुटि होने पर उप संचालक कृषि द्वारा संबंधित कृषक से 15 दिवस के भीतर पुनः बैंक विवरण प्राप्त करते हुए पोर्टल में त्रुटि सुधार कर राशि अंतरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

7. योजना के कियान्वयन हेतु पोर्टल विकसित करना (सूचना प्रबंधन प्रणाली) :–

7.1 खरीफ 2020 में योजना के संचालन की सम्पूर्ण प्रक्रिया के निर्बाध प्रवाह हेतु विभाग द्वारा एन.आई.सी. के सहयोग से नवीन पोर्टल विकसित किया जाएगा। पोर्टल तैयार करने के लिए एन.आई.सी. नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी।

7.2 धान उपार्जन पोर्टल, भूंइया पोर्टल एवं पी.एम.किसान पोर्टल में संरक्षित किये गये आंकड़ो को संबंधित विभाग की सहमति से इस प्रयोजन हेतु उपयोग किया जावेगा।

7.3 योजनांतर्गत कृषकों के फसलवार सर्वेक्षण एवं पंजीयन के पूर्व संबंधित विभाग द्वारा कृषकों के कृषि भूमि के रिकार्ड का शुद्धिकरण, अपडेशन एवं आधार से लिंक करने की कार्यवाही की जावेगी।

8. राज्य एवं जिला स्तरीय समिति :–

8.1 राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति :– इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, निगरानी, अंर्तविभागीय समन्वय हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त के अध्यक्षता में निम्नानुसार राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन किया जाता है:–

1.	मुख्य सचिव, छ.ग. शासन	– अध्यक्ष
2.	कृषि उत्पादन आयुक्त एवं प्रमुख सचिव	– सदस्य
3.	सचिव वित्त विभाग	– सदस्य
4.	सचिव खाद्य विभाग	– सदस्य
5.	सचिव सहकारिता विभाग	– सदस्य
6.	सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन	– सदस्य
7.	संचालक, संस्थागत वित्त	– सदस्य
8.	राज्य सूचना अधिकारी, एनआईसी	– सदस्य
9.	संचालक कृषि	– सदस्य सचिव

(टीपः– कृषि उत्पादन आयुक्त आवश्यकता अनुसार अन्य विभाग के अधिकारी को भी विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल कर सकेगे।)

8.1.1 राज्य स्तरीय समिति के दायित्व :–

(i) योजना क्रियान्वयन की सफल रणनीति तैयार कर समय–समय पर निर्देश प्रसारित करना।

(ii) कृषकों के पंजीयन के पूर्व भू–अभिलेखों का शुद्धीकरण, अपडेशन एवं आधार से लिंक कराने की कार्यवाही की समीक्षा करना।

(iii) हितग्राहियों की पंजीयन हेतु पोर्टल तैयार कराना।

(iv) योजना क्रियान्वयन की समय–समय पर समीक्षा करना एवं क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर कराना।

8.2 जिला स्तरीय अनुश्रवण समितिः– जिला स्तर पर योजना के सफल क्रियान्वयन एवं बाधाओ व शिकायतों के निराकरण हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय निगरानी एवं शिकायत निवारण समिति का गठन किया जाता है। समिति का स्वरूप निम्नानुसार होगा :–

1.	जिला कलेक्टर	– अध्यक्ष
2.	प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख शाखा	– सदस्य
3.	उप पंजीयक सहकारिता	– सदस्य
4.	जिला खाद्य अधिकारी / खाद्य नियंत्रक	– सदस्य
5.	लीड बैंक अधिकारी	– सदस्य
6.	मु.का.अ. / नोडल अधि. जिला सह. केन्द्रीय बैंक	– सदस्य
7.	जिला सूचना अधिकारी (NIC)	– सदस्य
8.	उप संचालक कृषि	– सदस्य सचिव

8.2.1 समिति के कार्य :–

(i) योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार कराना एवं ग्राम सभाओं का आयोजन कराना।

(ii) कृषकों के पंजीयन के पूर्व भू–अभिलेखों का शुद्धीकरण, अपडेशन एवं आधार से लिंक कराने की कार्यवाही।

(iii) कृषकों के पंजीयन हेतु अन्य विभागों की सेवाओं का उपयोग।

(iv) हितग्राहियों की जानकारी एकत्र कराकर पोर्टल में प्रविष्ट कराना।

(v) योजना क्रियान्वयन की समीक्षा एवं निगरानी करना।

(vi) क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करना तथा कृषकों से प्राप्त शिकायतों का निराकरण करना।

9. हितग्राहियों का सत्यापन :– विभिन्न विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने–अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन निम्नानुसार किया जावेगाः–

क्र.	विभाग का नाम	सत्यापनकर्ता अधिकारी का पदनाम	सत्यापन का %
1.	कृषि विभाग	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	10%
		कृषि विकास अधिकारी	2%
		वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	1%
2.	राजस्व विभाग	पटवारी	10%
		राजस्व निरीक्षक	2%

भौतिक सत्यापन की संकलित जानकारी उप संचालक कृषि द्वारा जिला स्तरीय समिति की बैठक के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

10. प्रशासनिक व्ययः– पोर्टल विकसित करने, कृषकों के पंजीयन, डाटा एन्ट्री, प्रपत्रों की छपाई, बैंक कमीशन आदि कार्यों हेतु कुल अनुदान राशि का **0.05 प्रतिशत** राशि प्रशासनिक मद हेतु प्रावधानित होगी।

11. वित्तीय व्यवस्था एवं लेखा शीर्षः–

1. योजनान्तर्गत विभाग द्वारा संचालक कृषि को राशि आबंटित की जाएगी। आबंटित राशि आहरित कर संबंधित विभाग के माध्यम से कृषकों के खाते में अन्तरित करने की कार्यवाही की जावेगी।

2. योजनांतर्गत होने वाला व्यय निम्नलिखित लेखा शीर्ष के अंतर्गत विकलनीय होगा –

(i) मांग संख्या 13 – सामान्य कृषि आयोजना
2401 – कृषि कार्य
102 – खाद्यानों की फसलें
0101 – राज्य आयोजना (सामान्य)
6438 – राजीव गांधी किसान न्याय योजना
14 – सहायक अनुदान
012 – अन्य अनुदान

(ii)	मांग संख्या 41	–	अनुसूचित जनजाति उपयोजना
	2401	–	कृषि कार्य
	102	–	खाद्यानों की फसलें
	0102	–	अनुसूचित जनजाति उपयोजना
	6438	–	राजीव गांधी किसान न्याय योजना
	14	–	सहायक अनुदान
	012	–	अन्य अनुदान
(iii)	मांग संख्या 64	–	अनुसूचित जाति उपयोजना
	2401	–	कृषि कार्य
	102	–	खाद्यानों की फसलें
	0103	–	अनुसूचित जाति उपयोजना
	6438	–	राजीव गांधी किसान न्याय योजना
	14	–	सहायक अनुदान
	012	–	अन्य अनुदान

योजना के दिशा–निर्देश पर छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ–505/ब–5/वि./2020 दिनांक 12.05.2020 द्वारा दी गई सहमति के आधार पर जारी की जा रही है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के.सी.पैकरा) 15/5/2020
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

पृष्ठां. क्र./2545/एफ–02–06/रा.यो./2020/14–2 नवा रायपुर, दिनांक 15/05/2020

प्रतिलिपिः–

1. माननीय मुख्यमंत्री जी के अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर छ.ग.।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, कृषि, पशुपालन, मछलीपालन, जलसंसाधन, आयाकट, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, छ.ग.शासन।
3. मुख्य सचिव के उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर, छ.ग.।
4. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छ.ग.शासन, वित्त विभाग।
5. स्टॉफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, छ.ग. शासन।
6. सचिव, छ.ग.शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन/खाद्य/सहकारिता/जनसंपर्क विभाग।
7. महालेखाकार, छ.ग.रायपुर।
8. संचालक कृषि छ.ग., विकास भवन, अटल नगर नवा रायपुर।
9. पंजीयक सहकारी संस्थाए, छ.ग. इंद्रावती भवन, नवा रायपुर।
10. संचालक, भू–अभिलेख, रायपुर।
11. संचालक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, छ.ग. नवा रायपुर।
12. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमि. रायपुर।
13. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. (मार्कफेड), नवा रायपुर।
14. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी बैंक मर्या. (अपेक्स) नवा रायपुर।
15. राज्य सूचना अधिकारी, एनआईसी, मंत्रालय, नया रायपुर।
16. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी, रायपुर।
17. महाप्रबंधक (परि.), छ.ग. राज्य ग्रामीण बैंक, रायपुर।

संयुक्त सचिव
15/5/2020
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र–I

राजीव गांधी किसान न्याय योजनान्तर्गत पंजीयन हेतु आवेदन पत्र

1. कृषक का नाम :–
2. पिता का नाम
3. जाति (टिक करें):– अ.जा. ☐ अ.ज.जा. ☐ अ.पि.अ. ☐ अनारक्षित ☐
4. मोबाइल नंबर (बैंक खाते से लिंक मोबाईल नं. को प्राथमिकता देवे):–
5. पता :–.....ग्राम का नाम :–.....
6. पटवारी हल्का नंबर :–.....आर.आई. सर्किल का नामः–.....
7. विकासखंड :–..... तहसीलः–..... जिलाः–.....
8. ऋण पुस्तिका क्रमांक :–
9. कुल रकबा(हे.) :– कृषि योग्य रकबा(हे.) पड़त भूमि (हे.)
10. बोयी गई फसलों का विवरण :– (केवल खरीफ फसल धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, रामतिल, कोदो, कुटकी, रागी तथा रबी गन्ना फसल का विवरण भरे)

क्र.	फसल का नाम	बोया गया रकबा(एकड मे)		क्र.	फसल का नाम	बोया गया रकबा(एकड़ में)	
		गतवर्ष	चालू वर्ष.....			गतवर्ष	चालू वर्ष.....
1.				5.			
2.				6.			
3.				7.			
4.				कुल बोया गया रकबा			

11. बैंक खाते का विवरण (पीएम किसान/धान उपार्जन हेतु पंजीकृत बैंक खाता की जानकारी को प्राथमिकता देवे) :–
    i. बैंक का नाम :–..... बैंक शाखा का नामः–.....
    ii. खाता क्रमांक :–
    iii. IFSC कोड :–
12. आधार का विवरण
    i. आधार नंबर :–
    ii. आधार कार्ड अनुसार पूरा नाम (अंग्रेजी में भरें) :–

आधार नं. के उपयोग हेतु सहमति पत्र

मैं अपने आधार नंबर की जानकारी राजीव गांधी किसान न्याय योजना हेतु उपयोग करने की सहमति देता/देती हूं।

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा–पत्र

मैं.....सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूं कि, उपरोक्तानुसार मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी सही है, मैंने अपनी कुल कृषि योग्य भूमि का रकबा, धान का रकबा तथा योजनांतर्गत निर्दिष्ट अन्य फसलों का रकबा के संबंध में सही जानकारी दी है। मैं इस बात से भी अवगत हूं कि मेरे द्वारा झूठा घोषणा पत्र दिये जाने पर मैं भारतीय दंड संहिता की धारा 199 के अंतर्गत सजा का भागी होउंगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

सत्यापन

खरीफ/रबी वर्ष ..... में खसरा के आधार पर कृषक द्वारा धारित भूमि एवं बोए गए रकबे की जानकारी

कुल रकबा(हे.) :– कृषि योग्य रकबा(हे.) पड़त भूमि (हे.)

क्र.	फसल का नाम	बोया गया रकबा(एकड मे)	क्र.	फसल का नाम	बोया गया रकबा(एकड़ में)	क्र.	फसल का नाम	बोया गया रकबा(एकड़ में)
1.			3.			5.		
2.			4.			कुल रकबा		

मैंने आवेदक के आवेदन में उल्लेखित चालू खरीफ/रबी वर्ष .....में बोए गए रकबे का पटवारी रिकार्ड के आधार पर सत्यापन किया है और सही पाया है। मैं इस जानकारी की डेटा एन्ट्री की अनुमति प्रदान करता हूं।

ग्रा.कृ.वि.अ./पटवारी का नाम सर्किल तहसील ग्रा.कृ.वि.अ./पटवारी के हस्ताक्षर एवं सील

पावती

कृषक श्री..... पिता श्री..... ग्राम.....
मोबाईल नम्बर ..... का पंजीयन आवेदन प्रपत्र–.....में आज दिनांक..... को प्राप्त किया।

ग्रा.कृ.वि.अधि का नाम ग्रा.कृ.वि.अधि सर्किल वि.ख. **ग्रा.कृ.वि.अ. के हस्ताक्षर**